न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
109 / 2022 प्रा.पत्र / 2022	22.11.2022	22.05.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री राकेश जैन पुत्र श्री राधेश्याम जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जय गुरूदेव किराण स्टोर मेन मार्केट अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक राज0। निवासी मेन मार्केट अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304023। मोबाईल नं0 7597806086।
2–श्री सचिन परवाल पुत्र श्री सागरमल परवाल प्रोपरायटर मैसर्स माहेश्वरी फूड प्रोडक्ट्स एच–1 / 58 सरना डूंगर इण्डस्ट्रीज एरिया झोटवाडा जयपुर राज0। पिनकोड–302012 निवासी 31 प्रभात कॉलोनी विजय बाडी पथ नं0 7 मुरलीपुरा जयपुर राज0। पिनकोड–302039।

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री जुगनू शर्मा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 22/5/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.08.2022 को समय दोपहर 03:11 पी.एम. पर मैसर्सजय गुरूदेव किराण स्टोर मेन मार्केट अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री राकेश जैन पुत्र श्री राधेश्याम जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जय गुरूदेव किराण स्टोर मेन मार्केट अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक पर खादय प्रदार्थ गुड, तेल, घी, शक्कर, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राकेश जैन पुत्र श्री राधेश्याम जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राकेश जैन पुत्र श्री राधेश्याम जैन ने स्वयं को मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री राकेश जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी,

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **बेसन मास्टर केप्टेन कुक ब्राण्ड (Besan Master Captain Cook Brand)** दुकान की रैक में 500–500 ग्राम के 35 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राकेश जैन पुत्र श्री राधेश्याम जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेताश्री राकेश जैन पुत्र श्री राधेश्याम जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान की रैक में 500–500 ग्राम के 35 नग पॉली पैक में से 4 नग पॉली पैक प्रत्येक 500–500 ग्राम **बेसन मास्टर केप्टेन कुक ब्राण्ड(Besan Master Captain Cook Brand)** जिसके बैंच नं0 9 एवं पैकिग की दिनांक 06.08.2022 थी, में से ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500–500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विकेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बेसन मास्टर केप्टेन कुक ब्राण्ड(Besan Master Captain Cook Brand)** 500–500 ग्राम के 4 पॉली पैक को ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड को लेकर, 4 नग पॉली पैक में से 500–500 ग्राम के एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर , चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3267 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3267नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता राकेश जैन पुत्र श्री राधेश्याम जैन मैसर्स जय गुरूदेव किराण स्टोर मेन मार्केट अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स माहेश्वरी फूड प्रोडक्ट्स एच–1/58 सरना डूंगर इण्डस्ट्रीज एरिया झोटवाडा जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थकय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3212 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2708/एक्ट/2022/2741 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **बेसन मास्टर केप्टेन कुक ब्राण्ड(Besan Master Captain Cook Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री जुगनू शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **बेसन मास्टर केप्टेन कुक ब्राण्ड(Besan Master Captain Cook Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **बेसन मास्टर केप्टेन कुक ब्राण्ड (Besan Master Captain Cook Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/5/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं